न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 02/2014
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

बृजलाल पुत्र चन्दूराम जाति कुम्हार, निवासी डूंगरसिंहपुरा, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

शिकायतकर्ता

बनाम

1. बिहारी लाल
2. पृथ्वी राज
3. हीरा राम
4. जैतकंवर

पिसरान दानाराम अकवाम कुम्हार सकनाए डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

5. कृष्ण
6. बलराम

पिसरान श्री उदा राम अकवाम कुम्हार सकनाए डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7. राज्य सरकार

अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित : श्री पृथ्वीराज शर्मा, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता की ओर से।
श्री काशी राम रणवां, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं0 1 से 4
श्री प्रेमचन्द सेवटा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 5 व 6
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से

आदेश दिनांक :14–06–2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि – ''अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के पिता स्व0 दानाराम पुत्र श्री चैना राम जाति कुम्हार निवासी बजीतपुरिया तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) के मूल निवासी हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता ने तथ्यों को छुपा कर चक गणेशगढ तहसील श्री गंगानगर के मुरब्बा नं0 40 वर्तमान मुरब्बा नं0 46 की 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि, मुरब्बा नं0 85 वर्तमान मुरब्बा नं0 86 की 6 बीघा नहरी भूमि, मुरब्बा नं0 88 वर्तमान मुरब्बा नं0 83 की 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि, मुरब्बा नं0 94 वर्तमान मुरब्बा नं0 107 की 17 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि कुल 43 बीघा 16 बिस्वा नहरी कृषि भूमि वर्ष 1965 में आवंटित की गई थी जिसकी खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के स्व0 पिता दानाराम ने तथ्यों को छुपा कर दिनांक 16–11–1987 को मुरब्बा नं0 46 की 7 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नं0 86 की 6 बीघा कुल 13 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि और अलॉट करवा ली। वर्तमान में चक गणेशगढ के मुरब्बा नं0 46 व 86 की 13 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि पर बतौर खरीददार अप्रार्थी सं0 5 कृष्ण व अप्रार्थी सं0 6 बलराम काबिज हैं। आवंटन विधि – विरूद्व एवं तथ्यों

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

को छुपा कर गलत रूप से करवाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के पिता स्व0 दानाराम को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे "।

प्रार्थना पत्र का जवाब जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा दिनांक 27.11.2015 को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के पिता स्व0 दानाराम गॉव बजीतपुरिया तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) के मूल निवासी नहीं हैं बल्कि **चक 7 ई छोटी** तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के निवासी है। वर्ष 1958 की वोटरलिस्ट में स्व0 दानाराम का नाम है। स्व0 दानाराम को चक 7 ई छोटी में 2½ बीघा भूमि विरासतन मिली थी, इस कारण दानाराम को शेष 43 बीघा 16 विस्वा भूमि का आवंटन पात्रता की सीमा में किया गया था। आवंटित भूमि एल.एन.पी. नहर से सिचिंत होती है। इस कारण 50 बीघा तक आवंटन हो सकता था। 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन नियामनुसार किया गया है। मुरब्बा नं0 46 की 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि दानाराम द्वारा जमनादेवी निवासी गणेशगढ को बेचान किया गया था और मुरब्बा नं0 86 की 6 बीघा भूमि अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 को बेचान की गई थी। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में खरीददार के नाम दर्ज है। दुबारा आवंटन का तथ्य गलत दर्ज किया गया है। दानाराम के खिलाफ इस आवंटन के बारे में पूर्व में धारा 11/14 का प्रकरण चला था। अपीलीय न्यायालय द्वारा दानाराम के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था जो माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय तक कायम रहा था। ऐसी सूरत में पूर्व में निर्णय होने से दुबारा यही प्रकरण अप्रार्थीगण के खिलाफ चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं0 5 व 6 के अधिवक्ता ने दिनांक 12–6–17 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के पिता गॉव बजीतपुरा के निवासी नहीं थे बल्कि चक 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर के निवासी थे। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 का जन्म चक 7 ई छोटी में हुआ है। दानाराम काश्तकार पेशा थे तथा चक 5 ई छोटी में पन्ना पुत्र चोखा की भूमि काश्त करते थे। चक 7 ई छोटी में ही दानाराम का वोट बना हुआ है। दानाराम को चक 7 ई छोटी में विरासतन मिली हुई भूमि मौजूद है जो वह खुद काश्त करते थे। एल.एन.पी. नहर द्वारा सीचिंत भूमि की आवंटन सीमा 50 बीघा होने के कारण दानाराम को नियमानुसार राजस्थान का मूल निवासी होने से 46 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था। आवंटन तथ्यों को छुपा कर नहीं करवाया गया है। रकबा की खातेदारी मिलने तथा भूमि का बेचान सद्भावनापूर्वक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्ट तौर पर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। दानाराम ने भूमि का बेचान ताराचन्द पुत्र हजारी राम जाट निवासी गणेशगढ वर्तमान निवासी दीनगढ तहसील संगरिया ने जरिये बैयनामा दिनांक 29–12–97 एवं कुछ भूमि राम प्रताप पुत्र उदाराम को बेचान की गई थी। बलराम को गलत पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उसने कोई भूमि खरीद नहीं की है। ताराचन्द ने उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 29–12–97 को कृष्ण लाल अप्रार्थी सं0 5 को बेचान की गई। बैयनामाजात दिनांक 30.12.97 को रजिस्टर्ड हुए। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आवंटन पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आवंटी पंजाब का मूल निवासी है। आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। तथ्यों को छुपा कर भूमि का गलत आवंटन करवाया गया है। सनद के अलावा और भूमि भी अलॉट करवाई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्राथीगण सं0 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आवंटी दानाराम पंजाब का निवासी नहीं था बल्कि चक 7 ई छोटी, श्री गंगानगर का निवासी है। विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर वर्ष 1958 की वोटर लिस्ट के भाग सं0 80 गॉव 7 ई छोटी के क्रम सं0 180 पर मकान सं0 44 में दानाराम पुत्र चैना राम का नाम दर्ज है। आवंटित भूमि की सनद जारी हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 दानाराम के वारिसान हैं। 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि पूर्व में थी। मामला माननीय राजस्व मण्डल तक गया था। आवंटन बहाल रहा था। शिकायत सारहीन है। अतः खारिज फरमाई जावे।

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अप्रार्थी सं0 5 खरीददार है तथा अप्रार्थी सं0 6 को गलत पक्षकार बनाया गया है क्योंकि अप्रार्थी सं0 6 द्वारा कोई भूमि खरीद नहीं की गई है। आवंटी दानाराम ने ताराचन्द को भूमि का विक्रय किया था। ताराचन्द से अप्रार्थी सं0 5 व उसके भाई राम प्रताप द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद की गई थी। अप्रार्थीगण सद्भावी केता हैं। प्रार्थी द्वारा शिकायत सारहीन की गई है। अतः शिकायत खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आवंटी स्व0 दानाराम पुत्र श्री चैना राम जाति कुम्हार निवासी गॉव बजीतपुरिया तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) का मूल निवासी है परन्तु इसके समर्थन में वे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर पाये हैं। इस तर्क के खण्डन में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि आवंटी स्व0 दानाराम चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर का निवासी है। इसके समर्थन में अप्रार्थीगण ने विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की वर्ष 1958 की वोटर लिस्ट की प्रति पेश की है, जिसके भाग सं0 80 में गॉव 7 ई छोटी के क्रम सं0 180 पर मकान सं0 44 में दानाराम पुत्र चैना राम का नाम दर्ज है। इसी प्रकार, जमाबंदी मौजा एक्स छोटी तहसील वा निजामत गंगानगर राज श्री बीकानेर सम्वत् 2010 सन् 52–53 राजस्व रेकार्ड की प्रति पेश की है। इस प्रकार वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवंटी स्व0 दानाराम चक 7 ई छोटी, श्री गंगानगर (राजस्थान) का निवासी था न कि पंजाब का मूल निवासी । वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी स्व0 दानाराम के पंजाब का मूल निवासी होने के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में, आवंटी स्व0 दानाराम का पंजाब का मूल निवासी होने का तर्क खारिज किया जाता है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि आवंटी स्व0 दानाराम द्वारा सनद् के अलावा और भूमि का भी आवंटन करवाया गया है लेनि इसकी पुष्टि में भी उनकी ओर से कोई पुख्ता दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस तर्क के खण्डन में कहा है कि 43 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन नियामनुसार किया गया है। दुबारा आवंटन का तथ्य गलत दर्ज किया गया है। दानाराम के खिलाफ इस आवंटन के बारे में पूर्व में धारा 11/14 का प्रकरण चला था। अपीलीय न्यायालय द्वारा दानाराम के पक्ष में निर्णय पारित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किया गया था जो माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय तक कायम रहा था। ऐसी सूरत में पूर्व में निर्णय होने से दुबारा यही प्रकरण अप्रार्थीगण के खिलाफ चलने योग्य नहीं है। सनद् कमांक 2602 के अनुसार चक गणेशगढ का मु0 नं0 40 मु0 नं0 हाल 46 की 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि, मु0 नं0 85 हाल मु0 नं0 86 की 6–00 बीघा भूमि, मु0 नं0 88 मु0 नं0 हाल 83 की 12–10 बीघा, मु0 नं0 94 मु0 नं0 हाल 107 की 17–10 बीघा कुल 43–16 बीघा भूमि की सनद जारी की गई है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 में मु0 नं0 46 की 7 बीघा 16 बिस्वा एवं मु0 नं0 86 की 6–00 बीघा कुल 13 बीघा 16 बिस्वा जिस भूमि का उल्लेख किया गया है, सनद् सं0 2602 में मुरब्बा नं0 46 का पुराना नम्बर 40 है तथा मुरब्बा नं0 86 का पुराना नं0 85 है तथा **भूमि भी जो प्रार्थना पत्र में अंकित की है, वही सनद् में अंकित है।** इस प्रकार प्रार्थना पत्र में जो दुबारा आवंटन का आक्षेप लगाया गया है, वह साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का यह तर्क भी निरस्त किया जाता है कि सनद् के अलावा और भूमि का आवंटन करवाया गया है।

अप्रार्थी सं0 5 व 6 के अधिवक्ता द्वारा **फार्म नं0 3** के साथ रजिस्टर्ड बैयनामों की प्रतियॉ पेश की गई हैं, से स्पष्ट है कि **ताराचन्द पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी गणेशगढ हाल दीनगढ तहसील संगरिया** द्वारा खाता सं0 44/71 मुरब्बा नं0 86 के किला नं0 1–2, किला नं0 3 की 10 बिस्वा एवं किला नं0 6 कुल 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि **अप्रार्थी सं0 5 कृष्ण** के भाई रामप्रताप पुत्र उदाराम जाति कुम्हार निवासी डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर को दिनांक 30–12–97 को विक्रय की गई है। इसी प्रकार ताराचन्द विक्रेता द्वारा अप्रार्थी सं0 5 कृष्ण लाल पुत्र उदाराम को चक गणेशगढ के खाता सं0 44/71 मु0 नं0 86 के कि0 नं0 3 की 10 बिस्वा, किला नं0 4–5 कुल 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय दिनांक 30–12–97 को रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय किया गया है। **अप्रार्थी सं0 6 बलराम के पक्ष में कोई बैयनामा** वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है इसलिए बलराम को **अनावश्यक** रूप से पक्षकार बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी मामले में सारभूत तथ्यात्मक जानकारी नहीं रखता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में यह भी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 12–7–78, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 26–5–84, माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 30–11–88 में अलॉटमैन्ट के संबंध में प्रकरण का निर्णय पूर्व में हो चुका है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना–पत्र तथ्यहीन, मनगढंत एवं साक्ष्यों से अपुष्ट होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14–06–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति.जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर